धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थीया का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थीया को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्राथीर्या नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थीया का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) मौजा राजोद के खाता संख्या 248 में खसरा नम्बर 287/1 तथा खसरा नम्बर 817 में दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: : आदेशः : –

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। **मौजा राजोद के खाता संख्या 248 में खसरा नम्बर 287/1 तथा खसरा नम्बर 817 में दर्ज खातेदार काश्तकार का नाम प्रार्थीया धापुदेवी पुत्री छगनाराम हिस्सा 1/6 के स्थान पर कमला उर्फ धापुदेवी पुत्री छगनाराम हिस्सा 1/6 जाति खाती सा. देह खातेदार दुरूस्त** किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीया का नाम माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।
यह आदेश आज दिनांक 17.7.23 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner